संख्या–414/एक–11–2021–06(जी)/2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 **लखनऊ : दिनांक : 21 जून, 2021**

विषय–बाढ़/अतिवृष्टि की आपदा से निपटने हेतु बचाव व राहत कार्यों के प्रबन्धन एवं बाढ़ राहत सामग्री की पैकेजिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बाढ़/अतिवृष्टि की आपदा से निपटने हेतु बचाव एवं राहत प्रबन्धन के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–11 के पत्र संख्या–संख्या–340/एक–11–2021–06(जी)/2019 दिनांक 12.05.2021 एवं पत्र संख्या–397/एक–11–2021–06(जी)/2019 15.06.2021 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये दिये गये हैं।

2. राजस्व अनुभाग–11 के उक्त सन्दर्भित शासनादेशों में बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित प्रत्येक परिवार (05 व्यक्ति औसत) हेतु खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री बोरा/पैकेट/डिब्बे में व्यवस्थित कर प्रति परिवार **10 किग्रा0 आटा, 10 किग्रा0 चावल, 10 किग्रा0 आलू, 05 किग्रा0 लाई, 02 किग्रा0 भूना चना, 02 किग्रा0 अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम धनिया, 5 लीटर केरोसिन तेल, 01 पैकेट मोमबत्ती, 01 पैकेट माचिस, 10 पैकेट बिस्कुट, 01 लीटर रिफाइन्ड तेल, 100 टेबलेट क्लोरीन एवं 02 नहाने के साबुन कुल अदद 17 प्रकार की राहत सामग्री** वितरित किये जाने के निर्देश हैं। उक्त सामग्री एक सप्ताह के लिये होगी।

3. उक्त राहत सामग्री को प्रभावित परिवारों के मध्य सुविधाजनक रूप से वितरित कराये जाने के दृष्टिगत उनकी पैकेजिंग कराया जाना आवश्यक है। बाढ़ के दौरान वितरित की जाने वाली राहत सामग्री निम्न प्रकिया के अनुसार पैकेजिंग कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है:–

- खाद्य सामग्री हेतु 02 अलग–अलग गत्ते के पैकेट बनाये जायेंगे।
- पैकेट की साइज, ऊंचाई 35 सेमी0, लम्बाई 48 सेमी0 एवं चौड़ाई 30 सेमी0 होगी। जिस पर बाहर की तरफ पैकेट पर अन्दर रखी हुयी खाद्य सामग्री एवं उसकी मात्रा अंकित की जायेगी । पैकेट के एक तरफ उ0प्र0 शासन का मोनोग्राम एवं मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार एवं मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार की फोटो तथा दूसरी तरफ पैकेट में रखी गयी बाढ़ राहत सामग्री का विवरण एवं मात्रा अंकित किया जायेगा।
- प्रथम पैकेट में निम्न राहत खाद्यान्न सामग्री रखी जायेगी:–

1–	**लाई**	**05 किग्रा0 (2.5 किग्रा0 के 02 पैकेट)**
2–	**भूना चना**	**02 किग्रा0**
3–	**गुड़**	**01 किग्रा0 (प्लास्टिक पैक में)**
4–	**बिस्कुट**	**10 पैकेट**
5–	**माचिस**	**01 पैकेट**
6–	**मोमबत्ती**	**01 पैकेट**
7–	**नहाने का साबुन**	**02**

- द्वितीय पैकेट में निम्न राहत खाद्यान्न सामग्री रखी जायेगीः–

1–	**आटा**	**10 किग्रा0**
2–	**चावल**	**10 किग्रा0**
3–	**अरहर दाल**	**02 किग्रा0**
4–	**नमक**	**500 ग्राम**
5–	**हल्दी**	**250 ग्राम**
6–	**मिर्च**	**250 ग्राम**
7–	**धनिया**	**250 ग्राम**
8–	**रिफाइन्ड**	**01 लीटर**

उक्त के अतिरिक्त, 10 किग्रा0 आलू जालीदार पैकेट में अलग से, क्लोरीन की 100 गोली अलग से तथा 05 लीटर केरोसीन तेल अलग से वितरित किया जायेगा।

4. **उक्त शासनादेश दिनांक 12.05.2021 एवं 15.06.2021 द्वारा निर्धारित खाद्यान्न सामग्री में गुड़ सम्मिलित नहीं है। अब राहत वितरण सामग्री पैकेट में 01 किग्रा0 गुड़ सम्मिलित किया जायेगा, इसके लिये राज्य आपदा मोचक निधि से अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।**

कृपया उपर्युक्तानुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

16/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–414(1)/एक–11–2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायतीराज, सिंचाई, ऊर्जा, ग्राम्य विकास, नगर विकास, कृषि, भूमि विकास एवं जल संसाधन, वन, लघु सिंचाई, खाद्य एवं रसद, पशुधन एवं मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. राजस्व अनुभाग–10, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।